



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112021-231469
CG-DL-E-29112021-231469

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 681]
No. 681]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 2021/अग्रहायण 8, 1943
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 2021/AGRAHAYANA 8, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 840(अ).—औषधि नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (23 के 1940) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 33 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को इन प्रारूप नियमों वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएगी;

केंद्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं. 434, सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011 को अग्रेषित किया जाए अथवा drugsdiv-mohfw@gov.in पर ई-मेल किया जाए।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों को औषधि (...संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे।

2. औषधि नियम 1945 में, नियम 127 के उप-नियम (1) में, 'कोल टार कलर्स' से संबंधित शीर्षक (3) के तहत, 'कारमोइसाइन' प्रविष्टि के बाद और 'ब्लू इंडिगो कारमाइन' प्रविष्टि से पहले, निम्नलिखित प्रविष्टि शामिल की जाएगी, अर्थात्: —

रंग का सामान्य नाम	रंग सूचकांक संख्या	रासायनिक नाम
1	2	3
"एल्लूरा रेड"	16035	डाई सोडियम 6-हाइड्रोक्सी -5 -[(2 -मिथोक्सी-5 - मिथाइल -4 सल्फोफिनाइल)ऐज़ो] -2- नेफ़थलीनसल्फोनिक एसिड"

[फा. सं. एक्स. 11014/22/2021-डीआर]

डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या एफ.28-10/45-एच (1), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), तारीखद्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2021

G.S.R. 840(E).— The following draft of certain rules further to amend the Drugs Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in consultation with the Drugs Technical Advisory Board is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Drugs), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Room No. 434, C Wing, Nirman Bhavan, New Delhi - 110011 or emailed at drugdiv-mohfw@gov.in.

DRAFT RULES

- (1) These rules may be called the Drugs (.....Amendment) Rules, 2021.
(2) These rules shall, unless specified otherwise, come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- In the Drugs Rules, 1945, in rule 127, in sub-rule (1), under the heading (3) relating to 'Coal Tar Colours', after the entry 'Carmoisine' and before the entry 'BLUE Indigo Carmine', the following entry shall be inserted, namely:—

Common Name of the Colour	Colour Index Number	Chemical Name
1	2	3
"Allura Red"	16035	Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-2-Naphthalenesulfonic acid"

[F. No. X. 11014/22/2021-DR]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number F.28-10/45-H (1), dated the 21st December, 1945 and last amended vide notification number G.S.R.(E), dated